भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3666
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: **कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार**

3666. श्री नवसकनी के.:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें क्या हैं।
(ख) कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्षवार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ग) पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं और किसानों पर उनके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हाल ही में कोई परियोजना शुरू की है;
(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(च) क्या सरकार ने कृषि अवसंरचना विकास कार्यक्रम में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी है;
(छ) यदि हां, तो ऐसी लक्षित पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ज) इन सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क से ग): मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने तथा कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में 'कृषि अवसंरचना कोष', कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि शामिल हैं। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i): आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत देश के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से एआईएफ की शुरुआत की गई थी। कृषि अवसंरचना कोष 3% ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये की निधि, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संवितरित की जाएगी और योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 3% की ब्याज छूट केआर साथ ऋण के रूप में प्रति वर्ष एक लाख करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई और एनएबीसंरक्षण के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई विभिन्न एलजीडी कोड में स्थित 25 परियोजनाओं तक योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है। दिनांक 30.11.2024 तक, एआईएफ के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए ऋणदाता संस्थानों द्वारा 51,783 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 39,148 करोड़ रुपये

योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में 85,208 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

(ii): कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है जिसके अंतर्गत कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एएमआई मांग आधारित योजना है जिसमें पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजी लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सहायता, व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को उपलब्ध है। यह योजना मांग आधारित है।

(iii): राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना, एक वर्चुअल मंच है, जो विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की भौतिक थोक मंडियों/बाजारों को एकीकृत करता है ताकि कृषि और बागवानी वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके और किसान अपनी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें।

(iv): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम सुविधाओं सहित फसलोपरांत प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह घटक वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है जिसके लिए सरकारी सहायता ऋण संबद्ध और बैक एंडेड है।

(v): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक (एसएलएससी), जो योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सशक्त निकाय है, के अनुमोदन से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की परियोजनाओं के आधार पर अनुदान सहायता के रूप में राशि जारी की जाती है। इस योजना में राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाओं के चयन, नियोजन, अनुमोदन और निष्पादन की प्रक्रिया में छूट और स्वायत्तता है। आरकेवीवाई मुख्य रूप से एक परियोजना उन्मुख योजना है, जिसका लाभ कृषक समुदाय के सभी वर्गों को मिलता है। वर्ष 2015-16 से, आरकेवीवाई का वित्त पोषण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्से से बदलकर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 तथा केन्द्र और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 हो गया। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह केंद्रीय हिस्से के रूप में 100% रहता है।

एआईएफ के तहत 1 लाख करोड़ रुपये में से वर्षवार ऋण स्वीकृति

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि (रु. करोड़)
1	2020-21	5,682	3,838
2	2021-22	5,785	5,749
3	2022-23	15,973	13,031
4	2023-24	33,915	17,399
5	2024-25	23,959	11,766
कुल		**85,314**	**51,783**

(घ) और (ङ): कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) सिंचाई संबंधी पहलों सहित कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। एआईएफ के साथ पीएम-कुसुम योजना के घटक-बी और सी के संयोजन से किसानों के लिए सिंचाई प्रणाली की सुविधा के लिए सौर ऊर्जा चालित पंपों की स्थापना में सहायता मिलती है। घटक बी के तहत एआईएफ 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप और घटक सी के तहत 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलाराइज़ को कवर करता है। आज की तिथि के अनुसार पीएमकुसुम संयोजन के तहत 31.72 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली कुल 1,007 परियोजनाओं को विभिन्न ऋणदाता संस्थानों द्वारा मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) को लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत लागू किया जा रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से जल उपयोग दक्षता में सुधार होता है, फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक का उपयोग कम होता है, फसल की पैदावार में वृद्धि होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीडीएमसी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	2700.02	2562.19	1796.12	1901.37	2103.50

(च) से (ज): कृषि ईन्फ्रास्ट्रक्चर में कमियों को दूर कर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए ये योजनाएँ बनाई गई हैं। लॉजिस्टिक्स ईन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किसानों को फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने और बिचौलियों की संख्या को कम करने के साथ बाज़ार में बेचने में सक्षम बनाता है। इससे किसान स्वतंत्र बनेंगे और बाज़ार तक उनकी पहुँच बेहतर होगी। साथ ही आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की पहुँच किसानों को यह तय करने में सक्षम बनाती है कि उन्हें बाज़ार में कब बेचना है और उनकी प्राप्ति में सुधार होगा। एआईएफ योजना का लाभ लाभार्थियों के इन कमजोर वर्ग के लिए एक वरदान के रूप में आता है क्योंकि उन्हें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सात साल तक की अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट का लाभ मिलता है। उधारकर्ताओं को और अधिक सहायता देने के लिए, इस पहल में 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता शामिल है, जिससे ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए वित्तीय जोखिम कम हो जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है जो उनकी ओर से इस फंडिंग तक पहुंचते हैं।

योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार, विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के आयोजनों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, फूड फेस्टिवल्स आदि में भागीदारी विभिन्न गतिविधियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

*****